व्यापार पेज 1, 2
17.11.13

ई-कामर्स में एफडीआई की मंजूरी के प्रयास का विरोध

व्यापारियों ने दी आक्रामक आंदोलन की चेतावनी

रमाकांत चौधरी

नई दिल्ली । ई-कॉमर्स रिटेल ट्रेड में एफडीआई की अनुमति देने के सरकारी प्रयासों और विदेशी ई-कॉमर्स कम्पनियों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर सरकार से अनुमति लेने के लिए लगातार की जा रही लॉबिंग को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने जोरदार आक्रमक विरोध करते हुए देश भर में आंदोलन चलाने की चेतावनी दी है।

इस बावत कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों केन्द्र सरकार देश के रिटेल व्यापार को विदेशी कम्पनियों के हाथों में सौंपने को लेकर उत्सुक है और हर तरह के रास्ते को ढुंढा जा रहा है जो कि बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी कदम को उठाए जाने से पूर्व सरकार को वर्तमान रिटेल व्यापार को आधुनिक एवं कम्प्यूटरीकृत करने के लिए अविलम्ब कदम उठाने चाहिए जिससे देश का रिटेल व्यापार किसी भी वैश्विक

(शेष पृष्ठ २ पर)

ई-कॉमर्स...

(पृष्ठ १ का शेषांश)

चुनौती का मुकाबला करने को तैयार हो सकेगा।

श्री भरतिरया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय ई-कॉमर्स में चुनिंदा विदेशी ई-रिटेलर्स के साथ-साथ विदेशी रिटेल कम्पनियां जो कि मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रवेश पाने की चेष्टा कर रही है और जिसके लिए जोरदार तरीके से लॉबिंग कर रही है। जिससे देश के रिटेल व्यापार के ऊपर भारी खतरा मंडरा रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार की तरफ से ई-कॉमर्स ट्रेड में एफडीआई को अनुमति देने के कोई भी प्रयास किए गए तो देश भर के व्यापारी उसका डटकर विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक प्रकार से विदेशी रिटेल कम्पिनयों के लिए पिछले दरवाजे से भारत के रिटेल व्यापार में प्रवेश करने की कोशिश है और इसके चलते केन्द्र सरकार की तरफ से रिटेल व्यापार में एफडीआई पर बनाए गए सभी नियम ध्वस्त होंगे क्योंकि ई-कॉमर्स में व्यापार करने की कोई सीमा नहीं होती है।

उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स रिटेल व्यापार में खुलकर कर प्रणाली का मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे में वर्तमान दौर में जो कम्पनियां ई-कॉमर्स में व्यापार कर रही है वह किसी एक राज्य के एक शहर के कर विभाग में अपना पंजीकरण करा लेती है और उस राज्य का लोकल टेक्स देकर अपनी पसंद के अन्य किसी राज्य के किसी भी शहर में माल की डिलीवरी कर देती है लेकिन उपभोक्ता वाले राज्य को कर के रुप में कुछ राजस्व के रुप में नहीं मिलता है। दरअसल अस समय वैट कर प्रणाली के अन्तर्गत अंतिम उपभोक्ता को भी कर देना होता है लेकिन ई-कॉमर्स में वैट के इस सिद्वांत का पालन कतई नहीं किया जा रहा है। इससे कर प्रणाली में बेहद विसंगति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में विदेशी ई-कॉमर्स व्यापार करने वाली कम्पनियां इस प्रकार से कर कानूनों का मजाक उड़ाएंगी।

श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा कि रिटेल व्यापार मे एफडीआई के प्रवेश पर केन्द्र सरकार ने अनेकों प्रकार की शर्तें लगाई हुई है और ई-कॉमर्स में रिटेल ट्रेड में एफडीआई को अनुमति देने से वह सभी शर्तें निष्प्रभावी हो जाएंगी और सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि लघु उद्योग को भी भारी झटका लगेगा।

उन्होंने कहा कि देश के खुदरा बाजार में लगभग पांच करोड़ से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान कार्यरत है जो कि राष्ट्रीय जीडीपी में १५ प्रतिशत का योगदान करते हैं और जिनकी वार्षिक वृद्धि दर लगभग १५ प्रतिशत और सालाना २० लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करते हैं। जिससे लगभग २२ करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से अपनी आजीविका के लिए खुदरा व्यापार पर निर्भर हैं। इसी तरह से लघु उद्योग जो कि राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग ९ प्रतिशत का योगदान करते हैं और देश के कुल निर्यात में लघु उद्योग की हिस्सेदारी लगभग ३६ प्रतिशत है। देश के लघु उद्योग क्षेत्र में ३.६ करोड़ प्रतिष्ठान कार्यरत हैं ओ जो कि लगभग आठ करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान